न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 01/2018 (पीडीआर एक्ट)

अधिशाषी अभियंता राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अलवर

प्रार्थी

बनाम

प्रदीप कुमार सिरोही ठेकेदार, निवासी 40, गीता कालौनी भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट 1952 (पीडीआर एक्ट) बाबत प्रदीप सिरोही ठेकेदार, 40 गीता कालौनी भरतपुर से बकाया राशि 87578/– रूपये की बसूली के संदर्भ में।

उपस्थित :– 1. हनुमान प्रसाद गोयल, वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 27.11.2019

प्रार्थी अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अलवर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1952 बाबत बसूली इस आशय का प्रस्तुत किया है कि श्री प्रदीप कुमार सिरोही ठेकेदार, 40 गीता कालौनी भरतपुर द्वारा अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अलवर के पत्रांक 9098–105 दिनांक 15.03.1993 के द्वारा निर्माण कार्य बी.टी. सडक गेलपुर से पाटन कृ.उ.म.स. खैरथल जिला अलवर का कार्य राशि 376875/–रूपये का जारी किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निधारित तिथि 29.09.1993 थी। परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया इस सम्बन्ध में संवेदक के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पत्रांक 7389–94 दिनांक 28.12.1994, 1614–18

दिनांक 14.06.1996 के द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी की कार्यवाही आरोपित की गई। संवेदक के विरूद्ध अनुबन्ध की धारा 2 के तहत 37,688/—रूपये की बसूली बनती थी जिसमें से 14345/— रूपये की बसूली संवेदक की विभाग में जमा राशि जप्त करके की जा चुकी है। इस प्रकार अनुबन्ध की धारा 2 के तहत 23343/—रूपये की बसूली शेष रहती है तथा अनुबन्ध की धारा 3 के तहत 64231/— रूपये की बसूली बनती है। तथा अन्तिम बिल 4/— रूपये ऋणात्मक बनता है। इस प्रकार संवेदक पर कुल 87578/— रूपये (23343 + 64231 + 4) बकाया राशि बसूली योग्य है, जिसकी बसूली राजस्थान पब्लिक डिमान्डस रिकवरी एक्ट 1952 के तहत की जानी है।

अप्रार्थी प्रदीप कुमार सिरोही को जरिये नोटिस क्रमांक 183 दिनांक 29.03.2019 के तलब किया गया। अप्रार्थी ने उक्त नोटिस 10.04.2019 को व्यक्तिशः प्राप्त किया। नोटिस प्राप्त हो जाने के बाबजूद अप्रार्थी द्वारा असालतन/बकालतन कोई जबाब पेश नहीं किया गया।

प्रार्थी अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अलवर की ओर उपस्थित आये वकील श्री हनुमान प्रसाद गोयल को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों में लिखित बहस प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड अलवर की ओर से अनुबन्ध वर्ष 92—93 की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत गैरआवेदक की ओर 87578/— रूपये बकाया विभाग के है। जिसकी बाबत अनेको बार नोटिस दिया गया परन्तु गैरआवेदक ने राशि को बाबजूद नोटिस विभाग को अदा नहीं किया है इस कारण रिक्यूजिशन फोर ए सर्टिफिकेट मय दस्तावेजात दिनांक 18.09.2018 को न्यायालय हाजा में पेश किया गया। न्यायालय हाजा के नोटिस के बाद गैरआवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने कोई पीडीआर एक्ट के तहत पिटीशन डिनायल लाईबिल्टी धारा 8 के तहत कोई पेश नहीं की है। आवेदक की ओर से जो बसूली योग्य राशि 87578/—रू0 का आवेदन पेश किया गया है और उसके साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये है उसके अनुसार न्यायालय हाजा को पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम 12ए के तहत बसूली चार्जेज 87578/—रू0 पर 10 प्रतिशत लेना आवश्यक है इसके साथ साथ यह रकम दिनांक 18.07.1995 को गैरआवेदक से मांगी गई है इस कारण दिनांक 18.07.1995 से अदायगी तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी आवेदक को गैरआवदक से दिलवाया जाना आवश्यक है। अन्त में योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 87578/—रू0 असल व इस राशि पर

दिनांक 18.07.1995 से अदायगी तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज एवं 10 प्रतिशत बसूली चार्जेज बसूल करने हेतु बसूली सर्टिफिकेट गैरआवेदक के विरूद्ध जारी करने का निवेदन किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बाकीदार/अप्रार्थी प्रदीप कुमार सिरोही ठेकेदार को अधिशाषी अभियन्ता राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड अलवर द्वारा पत्र क्रमांक 9098–105 दिनांक 15.3.1993 से निर्माण कार्य बी0टी0 सडक गैलपुर से पाटन कृ0उ0म0स0 खैरथल जिला अलवर का कार्य राशि 376875/– रूपये का जारी किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 29.9.1993 नियत थी। किन्तु अप्रार्थी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्यपूर्ण नहीं करने की स्थिति में विभाग की ओर से नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई, जैसा कि पत्रावली में उपलब्ध विभाग के पत्रांक 7389–94 दिनांक 28.12.1994 एवं पत्रांक 1614–18 दिनांक 14.6.1996 से स्पष्ट है। विभाग के द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही/वसूली किये जाने के उपरान्त वर्तमान में उस पर शेष रही राशि 23343 + 64231 + 4 कुल 87578/– रूपये की विभाग द्वारा हर संभाव प्रयास किये जाने के बाबजूद वसूली नहीं की जा सकी है जिसके लिये विभाग की ओर से पीडीआर एक्ट अधिनियम 1952 के तहत वसूली किये जाने हेतु यह प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनुबन्ध की अवहेलना एवं अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी की कार्यवाही के संदर्भ में न तो कोई जबाब अप्रार्थी की ओर से विभाग के समक्ष पेश किया गया और न ही अदालत हाजा के समक्ष पेश किया गया है। दौराने सुनवाई अप्रार्थी का बाबजूद सूचना उपस्थित न होना एवं विभाग द्वारा उनको जारी पत्रों के संदर्भ में कोई सन्तोषजनक जबाब न दिया जाना उनकी प्रकरण में कोई दिलचस्पी न होने के साथ–साथ उनके द्वारा किये गये कृत्य की मंशा को स्पष्ट दर्शाता है। लिहाजा प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड अलवर का यह प्रार्थना पत्र (अंतर्गत धारा पीडीआरएक्ट 1952) स्वीकार योग्य ही रहता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी (अंतर्गत धारा पीडीआरएक्ट 1952) स्वीकार किया जाता है। मुताविक मांग पत्र राशि 87578/–रू0 अक्षरे सत्तासी हजार पांच सौ अठहत्तर रूपये अप्रार्थी श्री प्रदीप कुमार सिरोही ठेकेदार निवासी 40 गीता कॉलोनी भरतपुर से बसूल किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा साथ ही मूल राशि का 10 प्रतिशत बसूली चार्जेज एवं

प्रमाणपत्र अन्तर्गत धारा 4 जारी करने की तिथि से वसूली दिनांक तक 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बसूल किया जावे। निर्णय एवं प्रमाण पत्र धारा 4 की प्रति प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि राशि बसूल कर सम्बन्धित विभाग को भेजे एवं बसूली चार्जेज सम्बन्धित मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर